न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

(1) अपील संख्याः—264 / 2014 / 223 (2018 / 00081)

नारायण पुत्र माधू (मृतक) जरिये वारिसानः—

1. पांची बेवा नारायण,
2. रामरतन पुत्र नारायण,
3. सायर पुत्री नारायण,

समस्त जाति बैरवा, नि0 ग्राम सान्दोलिया, तह0 किशनढ, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. हजारी पुत्र रामनाथ,
2. मु0 बरजी बेवा रामनाथ, (फौत)
3. श्योकरण पुत्र घीसा,
4. शिवराज पुत्र घीसा,

समस्त जाति बैरवा, नि0 ग्राम सान्दोलिया, तह0 किशनगढ़, अजमेर ।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 26.6.2014 अंतर्गत वाद संख्या 12 / 2003.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विकास पारासर, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 3 व 4 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5.

(2) अपील संख्याः—265 / 2014 / 223 (2014 / 00082)

नारायण पुत्र माधू (मृतक) जरिये वारिसानः—

1. पांची बेवा नारायण,
2. रामरतन पुत्र नारायण,
3. सायर पुत्री नारायण,

समस्त जाति बैरवा, नि0 ग्राम सान्दोलिया, तह0 किशनगढ, जिला अजमेर

अपीलांटस

बनाम

1. हजारी पुत्र रामनाथ,
2. मु0 बरजी बेवा रामनाथ,
3. श्योकरण पुत्र घीसा,
4. शिवराज पुत्र घीसा,

समस्त जाति बैरवा, नि0 सान्दोलिया, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 26.6.2014 अंतर्गत वाद संख्या 36/2003.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विकास पारासर, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 3 व 4 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 5.

निर्णय

दिनांकः— 16.1.2020

1. हस्तगत दोनों अपीलें विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.6.2014 के विरूद्ध पृथक—पृथक इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में दोनों अपीलों के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस के पूर्वज नारायण पुत्र माधू ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद संख्या 12/2003 वास्ते बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 197 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 196 चाह एवं खसरा संख्या 765 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा ग्राम सान्दोलिया, तह0 किशनगढ़ में अवस्थित है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है तथा राजस्व रिकार्ड में वादी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/4 हिस्सा निहित है लेकिन उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है जिस पर सभी पक्षकारान काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की होने से वादी को फसल काश्त करने, निराई गुड़ाई करने, लटाई एवं लगान इत्यादि जमा करवाते समय प्रतिवादीगण परेशान करते है जिससे वादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । कृषि आराजियात की भूमि को सींव धोरे आदि को लेकर झगड़ा होता रहता है इस कारण राजस्व रिकार्ड में अपने हिस्से की भूमि में खातेदारी विभाजित कर अलग—अलग खाते में नाम इंद्राज किया जाना आवश्यक है । अतः में वाद में अंकित कथनानुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर वाद कथनों से इंकार कर वाद खारिज करने का निवेदन किया ।
3. वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी हजारी वगैरह ने भी एक वाद संख्या 36/2003 वादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी के पिता रामनाथ पुत्र मांगू चमार राजस्थान राज्य डिवीजन जयपुर की पानड़ी में पोष सुदी पूर्णिमा संवत् 2007 में तत्कालीन खसरा संख्या 1876 जिसके हाल खसरा नंबर 765 रकबा 19—5—00 बीघा एवं महकमा बंदोबस्त

संयुक्त राजस्थान राज्य डिवीजन कोटा की पानड़ी मौजा सान्दोलिया, तह0 अरांई में पोष पूर्णिमा संवत् 2006 के खसरा नंबर 1087 राकबा 1–8–00 बीघा व 1089 बोरवाला में रकबा 00–18–00 और खसरा नंबर 1090 बेरा में रकबा 00–03–00 कुल 2–9–00 बीघा व कुएं में से वादी पिता रामनाथ व घीसा पुत्र मांगू चमार का 1/4 हिस्सा व नारायण एवं छोट्या पुत्र माधू का 1/4 हिस्सा व लादू पुत्र बालू का 1/2 हिस्सा तत्कालीन पानड़ी में राजस्व रिकार्ड में अंकित था तथा वादी के पिता के जीवित रहते वादी के पिता का व मृत्यु पश्चात् वादी स्वंय उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन बाद में प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों व पटवारी से मिलीभगत करके पुराने खसरा नंबर 1876 हाल 765 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज करवा लिया जबकि उनका कोई संबंध नहीं है । अतः वाद में अंकित कथनानुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने वादीगण हजारी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर वाद के कथनों से इंकार कर वाद खारिज करने का निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने दोनों वादों को समाहित कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.6.2014 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद संख्या 12/2003 खारिज किया तथा प्रतिवादीगण/हजारी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 36/2003 को स्वीकार कर डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 के इन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादीगण/अपीलांटस ने यह दो पृथक–पृथक अपीलें इस न्यायालय में पेश की है ।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

5. दोनों प्रकरणों में पक्षकारान, विवादित भूमियां समान होने से तथा एक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध होने से दोनों प्रकरणों में एक साथ बहस समाहत की जाकर दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक ही निर्णय के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रतियां प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक संधारित की जावे ।

6. अपील संख्या 264/2014 (2014/00081) एवं 265/2014 (2014/00082) के विद्वान वकील अपीलांटस श्री महेन्द्रसिंह चौहान ने लिखित बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजियात अपीलांट एवं रेस्पो0 की पैतृक सम्पति है तथा वर्तमान में अपीलांट एवं रेस्पो0 मौके पर अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजियात बाबत् राज0काश्त0अधि0 1955 के प्रभाव में आने के पश्चात् से राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादग्रस्त आराजियात की प्रथम जमाबंदी/अधिकार अभिलेख प्रथम जमाबंदी संवत् 2019 प्रदर्श–7 लगायत वर्तमान तक सभी जमाबंदियों में अपने हिस्से अनुसार अपीलांट एवं रेस्पो0 बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज चले आ रहे है । राज0काश्त0अधि0 की धारा 15 के अनुसार विधिक रूप से जमाबंदी में दर्ज किया गया है ।

7. अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 का निर्णय करते हुए जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 के खाता संख्या 365 में वाद वर्णित आराजी स्व0 नारायण का 1/2 हिस्सा होना बताया तथा धारा 15 राज0काश्त0अधि0 के तहत विधिवत् रूप से खातेदार दर्ज होना अंकित किया है जो कि जमाबंदी संवत् 2058–61 से स्वंय सिद्ध था लेकिन जमाबंदी संवत् 2006 के कॉलम संख्या 6 में उपकृषक के रूप में रामनाथ पुत्र मांगू चमार का नाम दर्ज होने से खसरा गिरदावरी संवत् 2009 से 2012 से 2018 में उसकी

काश्त दर्ज होने का आधार बनाते हुए उक्त तनकी को वादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध तय कर दी । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा केवल नकल जमाबंदी महकमा बंदोबस्त राज्य डिविजन कोटा तथा राजस्थान राज्य डिविजन जयपुर की पानड़ी के आधार पर तनकी संख्या 1 व 4 का निर्णय अविधिक रूप से अपीलांट के विरूद्ध पारित किया है। अधी0न्याया0 का तनकी संख्या 1 व 4 के संबधं में पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है । तनकी संख्या 2 के संबंध में बहस में कथन किया कि इस तनकी को अत्यंत ही सूक्ष्म तरीके से निर्णित किया है क्योंकि सर्वप्रथम वाद कारण वादीगण/अपीलांटस को उत्पन्न हुआ था तथा वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने के बाद प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे नजरअदांज कर तनकी संख्या 2 का निर्णय कर दिया जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि अधी0न्याया0 ने रिकार्ड पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर उक्त तनकी का निर्णय पारित किया है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि जमाबंदी महकमा बंदोबस्त, खसरा गिरदावरी संवत् 2009–18 एवं प्रतिवादीगण की ओर से स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत करने मात्र को सही मानकर विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 का निर्णय कर दिया जबकि वादीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया गया । जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 मे खसरा संख्या 765 में वादीगण/अपीलांटस का 1/2 हिस्सा गलत अंकित होना मानते हुए विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 4 का निर्णय पारित किया है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से कतई स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादी का कितना हिस्सा उक्त वादग्रस्त आराजियात में निहित है केवल प्रतिवादी के बयान के आधार पर उनको खातेदार मानते हुए वादीगण को गलत इंद्राज के आधार पर 1/2 हिस्से का खातेदार नहीं मानने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 5 का निर्णय करते हुए नकल बंदोबस्त 2006 संवत् जिसमें खसरा संख्या 1876 रकबा 19–5–00 बीघा बिलानाम भूमि होकर उपकृषक के कॉलम संख्या 6 में रामनाथ पुत्र मांगू चमार की काश्त दर्ज होने मात्र को सही अंकित होना माना है जबकि नकल एकीकरण खतौनी जमाबंदी संवत् 2019 के खाता संख्या 160 के कॉलम संख्या 5 में भी वादीगण/अपीलांटस का नाम अंकित है जिसे नजरअदांज कर अधी0न्याया0 ने उक्त तनकी को अपीलांटस के विरूद्ध निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तत संवत् 2006 लगायत 2018 की खसरा गिरदावरियों में रामनाथ का नाम दर्ज होने के कारण इस तथ्य को आधार बनाकर वादीगण की लगभग 60–70 वर्ष की खातेदारी को समाप्त किया किया गया है जबकि वास्तविकता यह थी कि अपीलांट एवं रेस्पो0 की पैतृक आराजियात बाबत् घर परिवार में रामनाथ के घर में बड़े होने के कारण राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित आराजियात बाबत् संवत् 2007 लगायत 2018 की गिरदावरियों में केवल रामनाथ का नाम ही दर्ज किया गया था जबकि संवत् 2019 में सही रूप से अपीलांट व रेस्पो0 का नाम दर्ज किया गया है । बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष बेचाननामा, बख्शीशनामा अथवा टिनेन्सी का स्त्रोत प्रस्तुत नहीं किया गया था इसके बावजूद विवादित आराजियात को रेस्पो0 को स्वअर्जित मानने में अधी0न्याया0 ने त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 द्वारा वाद संख्या 12/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.6.2014 निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत डिक्री किया जावे । इसी प्रकार वादीगण/रेस्पो0 हजारी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 36/2003 में पारित

निर्णय व डिक्री दिनांक 26.6.2014 निरस्त किया जाकर वादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त किया जावे ।

8. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा वाद संख्या 12/2003 एवं 36/2003 में पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजी खसरा नंबर 765 गत खसरा नंबर 1876 रकबा 19–5–00 बीघा से अपीलांटस का किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं है । उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हजारी के स्व0 पिता रामनाथ पुत्र मांगू की स्वअर्जित कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 हजारी के पिता की मृत्यु उपरांत प्रतिवादी संख्या 1 हजारी बतौर वारिस उत्तराधिकारी काबिज काश्त चले आ रहे है । बहस में आगे कथन किया कि खसरा नंबर 196, 197 में भी वादीगण का 1/2 हिस्सा न होकर केवल मात्र 1/8 हिस्सा ही है जो सेटलमेंट बंदोबस्त से चला आ रहा है । राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि बाबत् गलत अंकन हो रखा है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 के पिता रामनाथ वल्द मांगू जाति चमार का ग्राम सान्दोलिया, तह0 अंराई जिला जयपुर महकमा तहसील राजस्थान राज्य डिवीजन जयपुर की पानड़ी में पोष सुदी पूणिमा संवत् 2007 में तत्कालीन खसरा नंबर 1876 में स्थित रकबा 19–5–00 एवं महकमा बंदोबस्त संयुक्त राजस्थान राज्य डिवीजन कोटा की पानड़ी मौजा सान्दोलिया तहसील अंराई किशनगढ़ में पोष शुक्ल पूर्णिमा संवत् 2006 के खसरा नंबर 1087 कदीम में रकबा 1–8–0 एवं खसरा नंबर 1089 बोरवाल में रकबा 18 बिस्वा और खसरा नंबर 1090 बेरा रकबा 3 बिस्वा कुल रकबा 2–9–00 बीघा भूमि व कुएं में से रेस्पो0 संख्या 1/वादी के पिता रामनाथ व घीसा पुत्र बालू का 1/2 हिस्सा नारायण व छोट्या पि0 माधू का 1/4 हिस्सा व लादू पुत्र बालू का 1/2 हिस्सा तत्कालीन पानड़ी में राजस्व रिकार्ड में अंकित था तब से वादी/रेस्पो0 संख्या के पिता के जीवित रहते वादी/रेस्पो0 के पिता का व मृत्यु उपरांत वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा नंबर 1876 रकबा 19:7–00 भूमि पर संवत् 2007 से 2018 की खसरा गिरदावरी चतुर्थ वर्षीय की जमाबंदी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रामनाथ वल्द मांगू चमार के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन चला आ रहा है लेकिन बाद में प्रतिवादीगण/अपीलांटस ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर पुराने खसरा नंबर 1876 वर्तमान खसरा नंबर 765 के राजस्व रिकार्ड में हेरा–फेरी करके अपीलांटस संख्या 1 से 3 ने स्वंय का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करवा लिया जबकि अपीलांटस का विवादित आराजी से कोई संबधं नहीं है जिसे हटवाने का व खातेदारी अधिकारो की घोषणा वादी/रेस्पो0 अपने नाम करवाने का अधिकारी है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर तनकीवार निर्णय व डिक्री पारित कर वादी/अपीलांटस का वाद खारिज किया है तथा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दोनों अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष हजारी पुत्र रामनाथ द्वारा नारायण पुत्र माधू, शोकरण व शिवराज पुत्रगण घीसा व राज्य सरकार के विरूद्ध वाद संख्या 36/2003 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि खसरा नंबर पुराना 1876 वर्तमान खसरा नंबर 765 रकबा 19–5–00 ग्राम सांदोलिया, तह0 किशनगढ़ स्थित भूमि की पानड़ी प्रदर्श–9 पोष शुदि 15 संवत् 2007 गत खसरा नंबर 1876 रकबा 19–5–00 रामनाथ पुत्र मांग चमार के नाम महकमा तहसील अराई राजस्थान राज्य डिवीजन, जयपुर द्वारा पानड़ी दी गई थी । इसी प्रकार

प्रदर्श–8 पानड़ी खसरा नंबर 1087 रकबा 1–8–0, खसरा नंबर 1089 रकबा 0–18–00 व खसरा नंबर 1090 बेरा रकबा 0–3–0 कुल रकबा 2–9–0 बीघा भूमि रामनाथ व घीसा पि0 मांगू 1/4 हिस्सा, नारायण व छोट्या पि0 मांदू 1/4 हिस्सा व लादू वल्द बालू 1/2 हिस्सा पोष शुक्ल 15 संवत् 2006 को महकमा बंदोबस्त संयुक्त राजस्थान राज्य डिवीजन, कोटा द्वारा पानड़ी दी गई है जिसके अनुसरण में प्रदर्श–2 गिरदावरी संवत् 2009 से 2010 में गत खसरा नंबर 1876 रकबा 19–5–00 रामनाथ वल्द मांगू चमार की खातेदारी व काश्त अंकित है । इसी प्रकार प्रदर्श–3 खसरा गिरदावरी संवत् 2013 से 2016 में खसरा नंबर 1876 रकबा 19–5–00 एकल रामनाथ पुत्र मांगू चमार की खातेदारी एवं काश्त दर्ज है । खसरा गिरदावरी संवत् 2017 से 2018 प्रदर्श–4 में भी उक्त इंद्राज दर्ज है । प्रदर्श–5 मिलान क्षैत्रफल से गत् खसरा नंबर 1876 के वर्तमान खसरा नंबर 765 रकबा 19–5–00 बनना प्रमाणित होता है परन्तु प्रदर्श–11 जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 में वर्तमान खसरा नंबर 765 रकबा 19–5–00 हजारी पुत्र रामनाथ, मु0 बरजी बेवा रामनाथ 1/4 हिस्सा, शोकरण, शिवराज पि0 घीसा 1/4 हिस्सा, नारायण पुत्र माधू 1/2 हिस्सा कौम चमार की खातेदारी में दर्ज किया गया है । पानड़ी प्रदर्श–9 गत् खसरा नंबर 1876 रामनाथ वल्द मांगू चमार के नाम जारी होना प्रमाणित है । प्रदर्श–9 पानड़ी को निरस्त करने के संबंध में कोई चाराजोही की गई हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है । प्रदर्श–9 पानड़ी के आधार पर प्रदर्श–2, 3, 4 खसरा गिरदावरियों में खसरा नंबर 1876 रकबा 19–5–0 रामनाथ वल्द मांगू चमार की एकल खातेदारी एवं काश्त होना प्रमाणित होता है । उक्त इंद्राजात के विरूद्ध कोई चाराजोही कर विधिवत् निरस्त करवाया गया हो ऐसा भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । राजस्व अधिकारीगण को पूर्व जमाबंदी के इंद्राज को वर्तमान जमाबंदी में बदस्तूर यथावत् रखना चाहिये जब तक कि भूमि का पंजीबद्ध दस्तावेज से हस्तातंरण नहीं हो अथवा किसी सक्षम न्यायालय का आदेश व डिक्री न हो । खसरा नंबर 1876 जो रामनाथ वल्द मांगू चकार की एक खातेदारी में दर्ज था इसे बिना हस्तातंरण अथवा सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रदर्श–11 जमाबंदी में हजारी वल्द रामनाथ 1/4 हिस्सा ही दर्ज किया गया तथा शेष 1/4 हिस्सा बरजी, शिवराज पि0 घीसा एवं 1/2 हिस्सा नारायण पुत्र मादू के नाम किस प्रकार दर्ज किये जाने के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 नारायण, शोकरण व शिवराज द्वारा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की है । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि गत खसरा नंबर 1876 रकबा 19–5–00 रामनाथ वल्द मांगू चमार जिसके वारिस वादी हजारी पुत्र रामनाथ है की एकल खातेदारी की आराजी है परन्तु राजस्व अधिकारीगण द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व हस्तातंरण के प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का नाम भी राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज कर दिया गया जो अविधिक है । विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा विवादित वादी हजारी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 36/2003 में खसरा नंबर 765 रकबा 19–5–00 बीघा के संबधं पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् प्रतीत होता है जो यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

10. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण नारायण पुत्र माधू द्वारा हजारी, मु0 बरजी, शोकरण, शिवराज के विरूद्ध प्रस्तुत प्रस्तुत वाद संख्या 12/2003 में खसरा नंबर 765 रकबा 19–5–00 के संबंध में वाद खारिज करने में कोई त्रुटि कारित करना प्रतीत नहीं होता है । वादीगण नारायण पुत्र माधू अपने वाद एवं अपील को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है ।

11. उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाये जाते है ।

12. अतः नारायण मृतक जरिये पांची वगै0 द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2018/00081 बउनवान नारायण बनाम हजारी खारिज की जाती है तथा अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा वाद संख्या 12/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.6.2014 को यथावत् रखा जाता है तथा अपीलांटस नारायण मृतक जरिये पांची वगै0 द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2014/00082 बउनवान नारायण बनाम हजारी खारिज की जाती है तथा अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा वाद संख्या 36/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.6.2014 को यथावत् रखा जाता है । निर्णय की प्रति दोनों अपील पत्रावलियों में पृथक–पृथक संधारित की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 16.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर